न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : उम्मेदसिंह रतनू, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 24/2019

अपीलांट –	***बनाम***	**रेस्पोडेंट –**
फूसाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी सुरते की बेरी पटवार क्षेत्र दूधू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक : राजस्व/समर्पण/2016/6275 दिनांक 18.11.2016 जो तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 20.09.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा ग्राम सुरते की बेरी के खसरा नंबर 1152 रकबा 44–12 बीघा में से 0–06 बीघा भूमि का समर्पण स्वीकृति आदेश दिनांक 18.11.2016 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा सुरते की बेरी तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा नम्बर 1152 रकबा 44–12 बीघा भूमि के खातेदार फूसाराम पुत्र उदाराम कौम जाट निवासी सुरते की बेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर ने दिनांक 27.10.2016 को तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार 0–06 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का लगान खाता में से कम करने का आदेश [illegible] पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी दूधू द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की [illegible] कि भूमि खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज हैं, मौके पर [illegible] है, उक्त [illegible] पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं एवं न ही कोई वाद विचाराधीन है किसी भी प्रकार से विवादित नहीं हैं। उक्त भूमि पर लगान बकाया नहीं है। उक्त भूमि कटाण [illegible] पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:10:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

प्रस्तावित हैं तथा सार्वजनिक समाज के समस्त वर्गों के उपयोग में काम आयेगी। अतः इस भूमि को समर्पण हेतु स्वीकार किया जाना उचित हैं। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं खातेदार की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2016 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.10.2019 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता व रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 1152 रकबा 44–12 बीघा ग्राम सुरते की बेरी तहसील धोरीमन्ना में आया हुआ है। अपीलांट एक ग्रामीण व अनपढ़ व्यक्ति हैं जिसका भतीज जयचन्द पटवारी लगा हुआ हैं, जिसे राजस्व रेकर्ड व अनुदान के बारे में जानकारी की आवश्यकता होने पर अपने भतीज पटवारी जयचन्द को साथ ले जाकर तहसील से जानकारी लेता रहता हैं। इसके तहत वर्ष 2016 में किसानों को मिलने वाले अनुदान राशि के लिये अपने भतीज से दस्तावेज तैयार करवाये, जिस पर हल्का पटवारी मगाराम चौधरी के साथ मिलीभगत कर अनुदान दस्तावेज के साथ ही अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 1152 कुल रकबा 44–12 बीघा में से 00–06 बीघा भूमि का समर्पण–पत्र तैयार कर निष्पादित करवा दिया। अपीलांट द्वारा अपनी भूमि का कभी भी रास्ते बाबत कोई समर्पण नहीं किया गया था। वर्तमान में हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1152 में से रास्ता निकालने पर आमादा हुए तो अपीलांट ने हल्का पटवारी से पूछताछ की तो जानकारी हुई कि खसरा नम्बर 1152 में से 06 बिस्वा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण कर दी गई हैं। इस पर अपीलांट ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी के लिए फौजदारी प्रकरण पुलिस थाना धोरीमन्ना में दर्ज करवा गया तथा अपीलाधीन आदेश की प्रतिलिपि दिनांक 01.10.2019 को प्राप्त करने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। इस पर यह अपील जानकारी होने से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई हैं फिर भी सद्भाविक विलम्ब के लिये धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2016 को अपास्त फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:10:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

5. रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा सुरते की बेरी तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा नम्बर 1152 रकबा 44–12 बीघा भूमि के खातेदार फूसाराम पुत्र उदाराम कौम जाट निवासी सुरते की बेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर ने दिनांक 27.10.2016 को तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार 0–06 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का लगान खाता में से कम करने का आदेश फरमावें। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी दूधू द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि भूमि खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज हैं, मौके पर खाली है, उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं एवं न ही कोई वाद विचाराधीन है, किसी भी प्रकार से विवादग्रस्त नहीं हैं। उक्त भूमि पर लगान बकाया नहीं हैं। उक्त भूमि कटाण मार्ग पर प्रस्तावित हैं तथा सार्वजनिक समाज के समस्त वर्गों के उपयोग में काम आयेगी। अतः इस भूमि को समर्पण हेतु स्वीकार किया जाना उचित हैं। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं खातेदार की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2016 पारित किया गया। राजकीय अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रकट किया गया कि अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील 3 वर्ष के अन्तराल बाद प्रस्तुत की गई है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील सारहीन व आधारहीन होने के साथ मयाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

6. हमने अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा सुरते की बेरी तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा नम्बर 1152 रकबा 44–12 बीघा भूमि के खातेदार फूसाराम पुत्र उदाराम कौम जाट निवासी सुरते की बेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर ने दिनांक 27.10.2016 को तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार 0–06 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का लगान खाता में से कम करने का आदेश फरमावें। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी दूधू द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि भूमि खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज हैं, मौके पर खाली है, उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं एवं न ही कोई वाद विचाराधीन है, किसी भी प्रकार से विवादग्रस्त नहीं हैं। उक्त भूमि पर लगान बकाया नहीं हैं। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:10:35 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

भूमि कटाण मार्ग पर प्रस्तावित हैं तथा सार्वजनिक समाज के समस्त वर्गों के उपयोग में काम आयेगी। अतः इस भूमि को समर्पण हेतु स्वीकार किया जाना उचित हैं। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं खातेदार की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2016 पारित किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन है कि वर्ष 2016 में किसानों को मिलने वाले अनुदान राशि के लिये अपने भतीज से दस्तावेज तैयार करवाये, जिस पर हल्का पटवारी मगाराम चौधरी के साथ मिलीभगत कर अनुदान दस्तावेज के साथ ही अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 1152 कुल रकबा 44–12 बीघा में से 00–06 बीघा भूमि का समर्पण–पत्र तैयार कर निष्पादित करवा दिया। अपीलांट द्वारा अपनी भूमि का कभी भी रास्ते बाबत कोई समर्पण नहीं किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता हैं कि अपीलांट स्वंय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि को रास्ते के बाबत समर्पण हेतु बिना शर्त समर्पण किये जाने का इकरारनामा प्रस्तुत किया गया हैं। इस इकरारनामा में दो गवाहन की मौजूदगी एवं हल्का पटवारी की पहचान के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समर्पण स्वीकार किया गया हैं। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी खातेदारी भूमि में से 0–06 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पित करते हुए कब्जा छोड़ना प्रकट किया है जिसमें अपीलांट स्वयं द्वारा सहमति प्रकट की गई है ऐसे में सहमति से भूमि समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध 3 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है। साथ ही यदि अपीलांट यह समर्पण धोखे से निष्पादित होना मानता है तो इसके लिये सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र हैं। लिहाजा अपीलांट की यह अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(उम्मेद सिंह रतनू)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:10:35 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)